महोबा पुलिस

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 364/26

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 15.07.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

महोबा पुलिस

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 365/26

सर्किल चरखारी - थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा महिला की हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त को मय आलाकत्ल (पत्थर के टुकडों) सहित किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण-

दिनांक 13.07.2026 को थाना चरखारी क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला मड़वासन कस्बा चरखारी निवासी राकेश अहिरवार पुत्र रामदयाल अहिरवार द्वारा गिरजा देवी पत्नी पन्ना लाल अहिरवार उर्फ धम्मू उम्र करीब 55 वर्ष निवासी मोहल्ला मड़वासन के सिर पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। घायल महिला को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी चरखारी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल महोबा रेफर किया गया। उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई।

घटना के संबंध में थाना चरखारी पर मु0अ0सं0 152/2026 धारा 105/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। उक्त घटना के अनावरण एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा सुरागरसी, पतारसी करते हुए अभियुक्त की तलाश की जा रही थी।

आज दिनांक 15.07.2026 को थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त राकेश अहिरवार पुत्र रामदयाल अहिरवार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मोहल्ला मड़वासन कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा को सूपा चौराहा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल पत्थर के तीन टुकड़े बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 हार्दिक सिंह

2.हे0कां0 महेन्द्र कुमार गौतम

3.कां0 लोकेन्द्र प्रताप सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

राकेश अहिरवार पुत्र रामदयाल अहिरवार उम्र करीब 45 वर्ष निवासी मोहल्ला मड़वासन, कस्बा व थाना चरखारी, जनपद महोबा।

बरामदगी-

आलाकत्ल पत्थर के तीन टुकड़े।

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 366/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 15.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित व0उ0नि0 शिवदान सिंह मय हमराह हे0कां0 प्रदीप कुमार, कां0 शील कुमार व कां0 विशाल जायसवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त दीपू सिंह पुत्र स्व0 फूल सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुये कस्बा खरेला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 51/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

दीपू सिंह पुत्र स्व0 फूल सिंह उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम पुपवारा थाना खरेला जनपद महोबा

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 शिवदान सिंह
2.हे0कां0 प्रदीप कुमार
3.कां0 शील कुमार
4.कां0 विशाल जायसवाल

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 367/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी - थाना खरेला

थाना खरेला पुलिस टीम ने

01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खरेला श्री नन्हेलाल द्वारा गठित व0उ0नि0 शिवदान सिंह मय हमराह हे0कां0 प्रदीप कुमार व कां0 दीपक मौर्या के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/2026 धारा 126(2)/75/115(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त रज्जू भदौरिया उर्फ शिवप्रताप पुत्र वीरभान सिंह उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम ऐचाना थाना खरेला जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

रज्जू भदौरिया उर्फ शिवप्रताप पुत्र वीरभान सिंह उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम ऐचाना थाना खरेला जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 शिवदान सिंह
2. हे0का0 प्रदीप कुमार
3. का0 दीपक मौर्या

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 368/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ - थाना कुलपहाड़

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वारण्टी अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 15.07.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड़ श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा गठित उ0नि0 योगेश रावत मय हमराह रि0कां0 आकाश कुमार व रि0कां0 दुष्यन्त सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तगण क्रमशः 1.राजेन्द्र पुत्र शिवप्रसाद रैकवार निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाङ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0अ0स0 202/15 धारा 147/302/201 भा0द0वि0 व 2.पीयूष कुशवाहा पुत्र नवल किशोर निवासी मुहल्ला हटवारा बस स्टैण्ड के पास थाना कुलपहाङ जनपद महोबा सम्बन्धित मु0सं0 244/202 मु0अ0सं0 117/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम में मा0 न्यायालय महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्तगण उपरोक्त को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राजेन्द्र पुत्र शिवप्रसाद रैकवार निवासी ग्राम मुढारी थाना कुलपहाङ जनपद महोबा

2.पीयूष कुशवाहा पुत्र नवल किशोर निवासी मुहल्ला हटवारा बस स्टैण्ड के पास थाना कुलपहाङ जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 योगेश रावत

2.रि0कां0 आकाश कुमार

3.रि0कां0 दुष्यन्त सिंह

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 369/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी सफलता, 10 वर्षों से फरार हिस्ट्रीशीटर अवैध तमंचा व कारतूस सहित गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे हिस्ट्रीशीटर चेकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वन्दना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा 10 वर्षों से लापता/फरार हिस्ट्रीशीटर राजेन्द्र यादव उर्फ भोले पुत्र सियाराम यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को मो0 फतेहपुर बजरिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 343/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त –

राजेन्द्र यादव उर्फ भोले पुत्र सियाराम यादव उम्र करीब 50 वर्ष निवासी फतेहपुर बजरिया थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा

बरामदगी –

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर नाजायज बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1.उ0नि0 नरेशचन्द्र निगम

2.कां0 आमिर खान

3.कां0 अजय कोरी

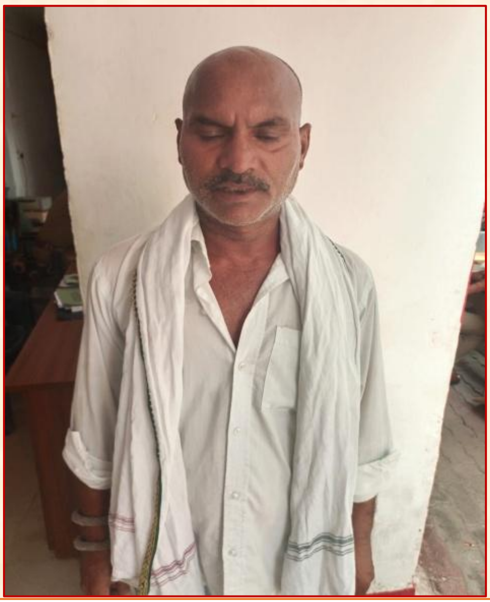

दिनांक- 15.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 370/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही, मारपीट व जानलेवा हमले के अभियोग में नामजद एक अभियुक्त 24 घंटे के भीतर मय आलाकत्ल (कुल्हाडी) सहित किया गया गिरफ्तार, शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के कुशल नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

घटना का विवरण :-

दिनांक 14.07.2026 की रात्रि में थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत मोहल्ला समदनगर स्थित चंदेल पेट्रोल पम्प के पास जयवेन्द्र सिंह उर्फ विक्की ठाकुर पुत्र बाबू सिंह निवासी मोहल्ला समदनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा के साथ नामजद अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार कुल्हाडी से मारकर घायल किया गया था। जिससे वादी के हाथ एवं पैर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल महोबा ले जाया गया, जहाँ से गंभीर अवस्था के कारण हायर सेंटर दिल्ली रेफर किया गया। वर्तमान में उनका उपचार जारी है।

पुलिस कार्यवाही :-

जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त घटना पुराने विवाद के चलते घटित हुई। घटना के संबंध में वादी के पिता बाबू सिंह पुत्र स्व0 जंगी सिंह द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 344/2026 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 118(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित टीमों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए साक्ष्य संकलन, सुरागरसी एवं पतारसी के आधार पर घटना में नामजद अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ विकास को घटना के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

रोहित कुमार उर्फ विकास पुत्र रामस्वरुप नि0 चन्देल पेट्रोल पम्प के पीछे प्रेमबोर वाली गली समदनगर थाना कोतवाली नगर महोबा मूल नि0 ग्राम मकरवई थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.SHO कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय

2.हे0कां0 उमाशंकर शुक्ला

3.हे0कां0 सूरज सिंह चौहान

बरामदगी-

01 अदद कुल्हाड़ी लोहा मय बेंत लकड़ी लगा हुआ

महोबा पुलिस

सर्किल नगर - थाना कोतवाली नगर

फॉलो-अप कार्यवाही : मारपीट व जानलेवा हमले के अभियोग में 01 अन्य वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ...।

पूर्व में जारी प्रेस विज्ञप्ति के क्रम में, उच्चाधिकारियों के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में घटना में संलिप्त एक अन्य वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।

दिनांक 14.07.2026 को रात्रि में जयवेन्द्र सिंह उर्फ विक्की ठाकुर पुत्र बाबू सिंह निवासी मोहल्ला समदनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) से हमला कर घायल किया गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर महोबा पर मु0अ0सं0 344/2026 धारा 191(2), 191(3), 109(1), 118(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त नादिर पुत्र असलम उर्फ शमां टेलर, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मोहल्ला समदनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा को पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15.07.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रकरण में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

नादिर पुत्र असलम उर्फ शमां टेलर उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी मोहल्ला समदनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर श्री मनीष कुमार पाण्डेय
2. हे0का0 उमाशंकर शुक्ला
3. का0 रतन सरोज